न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

मैनुअल प्र.सं. : 32/2025
जीसीएमएस : 2025/305

1. मीरा देवी पुत्री सहीराम पत्नी कालूराम जाति बावरी साकिन श्यामगढ़ (59 एन.पी.) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानग राज.। –:प्रार्थीया

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्योदान जाति बावरी साकिन श्यामगढ़ (59 एन.पी.) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानग राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 10.07.2025

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री महेन्द्र कुमार चावरिया प्रार्थीया अधि.।
2. श्री परमजीत सिंह मेहरा अप्रार्थी. अधि.।

—निर्णय— दिनांक 09.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उप–धारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया। कि प्रार्थी को अपनी जोत तहसील रायसिंहनगर के वाके चक 59 एनपी के खाता संख्या 74/63 मु.नं. 6 प.नं. 221/350 के कि.नं. 13/1 व 13/2, 14, 15/1, 16/1, 17 की कुल 1.215 है. नहरी भूमि में से मेरा 9/10 हिस्सा खातेदारी भूमि में पहुंचने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 59 एनपी का खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नं. 6 प.नं. 221/350 के कि.नं. 11–12 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा रास्ता आने–जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हूँ प्रार्थी के पास आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी की सुविधा के मध्यनजर ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी 251 के प्रावधानों के अनुसार राशि जाम करवाने के लिए सहमत हूँ विकल्प में अगर अप्रार्थीगण भूमि की एजव में भूमि लेना चाहते है तो मैं देने के लिए सहमत हूँ मुझ प्रार्थी को इस रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री प्रमजीत सिंह मेहरा अधिवक्ता ने वकालतनामा व राजीनामा दिनांक 07.01.2026 पेश कर कथन किया। कि प्रार्थीया मीरा[illegible] द्वारा उक्त [illegible] की रास्ता प्रकरण श्रीमान् न्यायालय में विचाराधीन है जो [illegible] चक [illegible] एन.पी. मु. नं. 6 कि.नं. 11 व 12 प्रत्येक 0.019 है. कुल 0.038 [illegible] भूमि में रास्ता दक्षिण की तरफ चिपता रास्ता [illegible] जिस पर पक्षकारान का राजीनामा से सह[illegible] अप्रार्थी महेन्द्र कुमार ने उक्त रास्ता देना स्वीकार कर लिया और प्रार्थीया द्वारा महेन्द्र कुमार अप्रार्थी को इसी मुरब्बा नं. 6 के कि.नं. 13/0.038 है. भूमि कि.नं. 12 से चिपती हुई भूमि अप्रार्थी महेन्द्र कुमार को रास्ता के बदले देना तय पाया गया है लिहाजा राजनीमा प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:09:30 IST
Reason: SelfAttested

रायसिंहनगर के चक 59 एन.पी. खाता संख्या 3/3 मु.नं. 6 कि.नं. 11 व 12 में 0.019 है. प्रत्येक कुल 0.038 है. रास्ता स्वीकृत किया जावे। जिसके बदले में प्रार्थीया मीरादेवी की भूमि मु.नं. 6 के कि.नं. 13 में 0.038 है. भूमि कि.नं. 12 से चिपती हुई अप्रार्थी महेन्द्र कुमार के नाम से दर्ज किया जावे। राजीनामा पेश होने पर राजीनामा पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गयो उभय पक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थी एवं अप्रार्थी के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया। राजनीमा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजीनामा दिनांक 07.01.2026 का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है अतः उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका रिपोर्ट लिया जाना उचित नहीं है राजीनामा के अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रार्थी एवं अप्रार्थी के राजीनामा दिनांक 07.01.2026 के अनुसार स्वीकार किया जाकर चक 59 एन.पी. खाता संख्या 3/3 मु.नं. 6 कि.नं. 11 व 12 में 0.019 है. प्रत्येक कुल 0.038 है. भूमि को **गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है**। प्रार्थीया मीरादेवी की भूमि मु.नं. 6 के कि.नं. 13 में 0.038 है. भूमि कि.नं. 12 से चिपती हुई अप्रार्थी महेन्द्र कुमार के नाम से दर्ज कर आदेश की पालना की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:09:30 IST
Reason: SelfAttested